फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

प्रार्थना पत्रं संख्या : 34/23

1:– उदय लाल पिता नाराण गुर्जर निवासी आनन्दपुरा तह0 बेगूँ
2:– देराम पिता नाराण गुर्जर निवासी आनन्दपुरा तह0 बेगूँ
3:– रूकमाबाई पत्नि नाराण गुर्जर निवासी आनन्दपुरा तह0 बेगूँ
4:– लीला पुत्री स्व.नाराणी उम्र ना.बा. सरपरस्त नानी रूकमाबाई पत्नि नाराण गुर्जर निवासी आनन्दपुरा तह0 बेगूँ
5:– शंकर पुत्र स्व.नाराणी उम्र ना.बा. सरपरस्त नानी रूकमाबाई पत्नि नाराण गुर्जर निवासी आनन्दपुरा तह0 बेगूँ
6:– दिनेश पुत्र स्व.नाराणी उम्र ना.बा. सरपरस्त नानी रूकमाबाई पत्नि नाराण गुर्जर निवासी आनन्दपुरा तह0 बेगूँ

..........प्रार्थीगण

– बनाम –

1:– श्री मती कमलीबाई पुत्री काना गुर्जर निवासी आनन्दपुरा तह0 बेगूँ
2:– रूघनाथ पुत्र भीमा गुर्जर निवासी आनन्दपुरा तह0 बेगूँ
3:– श्री मान भूमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार साहब तह0 बेगूँ

...........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0का0अधि0

वाद अ0धा0 188 राज0का0अधि0 के साथ प्रा0प0 अ0धा0 212 राज0का0अधि0 का वकील श्री वी.के. भारद्वाज द्वारा पेश कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि मौजा आनन्दपुरा प0ह0 काटून्दा तह0 बेगूँ की खातेदारी कब्जे काश्त एवं स्वामित्व अधिपत्य कि कृषि आराजीयात राजस्व अभिलेख में निम्न अनुसार दर्ज रिकार्ड है जिसका विवरण इस प्रकार है जिसके खाता सं0 4 में अंकित आराजी सं0 177,178मी,19,20,30,31,32, 34,35 कुल किता 9 कुल रकबा 1.5900 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है।

यह है कि उक्त आराजीयात में प्रार्थी सं. 1 से 3 का 1/4 –1/4 हक हिस्सा तथा प्रार्थी सं. 4 से 7 का 1/4 हक हिस्सा दर्ज [illegible] जिस पर प्रार्थीगण अपने बाप दादा के जमाने से संयुक्त रूप से अपने अपने [illegible] हिस्से पर काबिज हो कर बिना किसी बाधा के बे रोकटोक काश्त करते आ रहे है जिस पर प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में पत्थरगढी प्रार्थनापत्र पेश किया जिसके प्रकरण सं. 47/1[illegible] पर दिनांक 25.5.2017 को पारित आदेश की पालना में पटवार हल्का काटून्दा एवं भू.अ. निरक्षक काटून्दा ने दिनांक 29.06.2019 को दोनों पक्षो को एवं मौतबीरान की उपस्थिति में मौके पर पत्थरगढी की जाकर मौके पर परचा मौका बनाया गया। उक्त आराजीयात पर अन्य किसी व्यक्ति का हक अधिकार नहीं है इस प्रकार प्रथमदृष्टिया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:52:12 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] की सीमा [illegible] करने पर विपक्षीगण आमादा हुए। वाद वर्णित [illegible] की तन्हा खातेदारी कब्जे काश्त की है विपक्षीगण का कोई हक [illegible] नहीं होने के बावजुद विपंक्षीगण ने जबरन ताकत के बल पर [illegible] के सीमा चिन्हों को उखाड कर फेंक दिया और प्रार्थीगण की आराजी सं. 34 के पश्चिमी भू भाग पर लगभग 7 बिस्वा जमीन पर अतिकमण कर हडप करने की नियत से कब्जा कर लिया। इसलिए प्रार्थीगण की आराजी सं. 34 में नजरी नक्शें में लाल श्याही से दर्शित स्थान ए.बी.सी.डी पर जबरन कब्जा कर लेने से कब्जा प्राप्त करने के लिए कब्जेयाबी हेंतु यह वादपत्र पेश है इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

यह है कि विपक्षीगण ने वाद वर्णित आराजीयात की आराजी सं 34 के 6–7 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर लिया है और शेष आराजियात पर भी जबरन कब्जा करने की धमकी दे रहे है। इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्राथीगण का प्राथनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की विवादित आराजीयात खाता सं. 4 की कुल किता 9 पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 को वादपत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाए कि प्रार्थीगण की पुश्तेनी कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न स्वंय करें न अन्य किसी परिवार के सदस्य नौकर ऐजेन्ट आदि से करावे व प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से की खातेदारी आराजीयात का शांतिपुर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया विपक्षी सं. 1 व 2 सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही कि गई व विपक्षी सं. 3 फोर्मल पक्षकार होने से जवाब पेश नहीं करना चाहते है प्रकरण में वकिल प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

प्रार्थनापत्र आ.धा. 212 राज0का0अधिनियम का एवं दस्तावेजों का हमारे द्वारा गहन अवलोकन किया गया जिसका निस्तारण तीन बिन्दुओ के आधार पर किया जाता है जो निम्न प्रकार है।

प्रथमदृष्टया :–

यह है कि उक्त आराजीयात [illegible] के होकर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिस पर प्रार्थीगण अपने बाप दादा [illegible] रूप से अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर [illegible] किसी बाधा [illegible] बेरोकटोक काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी प्रार्थी द्वारा प्रा[illegible] की पत्थरगढी भी करवाई गई है। जिस पर प्रार्थीगण के अलावा किसी और अन्य का हक हिस्सा नहीं है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:52:12 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा का संतुलन –

यह है कि उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की होकर दर्ज रिकार्ड है विपक्षीगण प्रार्थीगण के आराजीयात के पडौसी होकर खेत की मेर पाली पास होने से आए दिन अनाधिकृत रूप से मवेशी छोडकर नुकसान पहुचाते है और

दखल करना चाहते है। इस लिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

अपूर्णिय क्षती–

यह है कि उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की दर्ज रिकार्ड है जिसमें विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की आराजी सं. 34 के पश्चिमी भू भाग पर लगभग 6–7 बिस्वा भूमि पर अतिकृमण कर हडप करने की नियत से कब्जा कर लिया है। और शेष आराजीयात पर भी जबरन कब्जा करने की धमकीया दे रहे है। इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना आवश्यक है। यदि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि पर विपक्षीगण द्वारा कब्जा कर लिया जाता है तो इसकी क्षती प्रार्थीगण को ही होगी। इस प्रकार अपूर्णिय क्षती भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

इस प्रकार प्रार्थनापत्र में तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र आ.धा. 212 राज0का0अधिनियम का स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की मौजा आनन्दपुरा प0ह0 काटून्दा तह0 की खाता सं. 4 आराजी सं. 177,178मी.,19,20,30,31,32,34,35 कुल किता 9 कुल रकबा 1.5900 है0 भूमि पर मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण की पुश्तेनी कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न स्वंयं करें न अन्य किसी परिवार के सदस्य नौकर ऐजेन्ट आदि से करावे व प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से की खातेदारी आराजीयात का शांतिपुर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

आदेश आज दिनांक 19.07.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
भूपाल जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:52:12 IST
Reason: SelfAttested